






फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

.....पंकज कुमार बनाम.....मुखदान.....

किस्म मुकदमा.....राजस्व धा. १.....मुकदमा नम्बर.....177...../20 23

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/11/23	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>आर.एस.राम</u>..... यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा.....<u>188</u>..... राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक.....<u>8/12/23</u>.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
8/14/23	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>28/02/24</u> को पेश हो। </p>	
28/2/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>15/5/24</u> को पेश हो। </p>	
15/05/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक <u>30/07/24</u> को पेश हो। </p>	
30/07/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपास्थित प्रतिक्रियाओं के सम्मन लात्रिल। आर.एस.राम उपास्थित इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>30/07/24</u> को पेश हो। </p>	



27/6/24

पत्रावली पेश हुई। पीठरीन अधिकारी विगल कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 25/11/24 को पेश हो।

[Signature]

25/11/24

पत्रावली पेश हुई। पीठरीन अधिकारी विगल कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30/12/24 को पेश हो।

30/12/24

पत्रावली पेश हुई। पीठरीन अधिकारी विगल कार्यों में व्यस्त है, मिसल इत्तबा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 27/02/25 को पेश हो।

12/02/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी स्वयं उपर।
वकील वादी ने अर्चना पत्र वाले पत्रावली पेशी पर लेने
बाबल पत्रा उर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी लारीख
पर ली जावे। वकील वादी ने अर्चना पत्र पर पत्रावली
आज पेशी लारीख पर ली गई। वकील वादी ने अर्चना
पत्र वाले वाद विज्ञा करने बाबल पत्रा उर निवेदन किया कि
उपरोक्त अनवान के प्रकरण में वादी व उत्पदीगण के बीच में
गांव के मौजिन व्यक्तियों ने शहीनामा करवा दिया है। अब
हमारे बीच किसी प्रकार का लजाया नहीं है कि उक्त वाद हम
आगे नहीं चलाना चाहते हैं। उपरोक्त अनवान के प्रकरण को
विज्ञा करने का आदेश फरमावे।

पेशी सुमार
[Signature]
उपरी वकील

वादी वकील द्वारा उत्पुल अर्चना पत्र को न्यायाद्वि में
स्वीकार किया जाउर उक्त अनवान के प्रकरण को जरिये शहीनामा
विज्ञा किया जाल है। पत्रावली फेरल सुमार होकर लारीख दफ्तर हो।

[Signature]